संख्या-9/2022/46/77-6-2022-6002(099)/2/2022

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी,2022**

विषय:-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु.86,95,78,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/आईआईआईपी-2012/मेगा/1420 दिनांक 07-01-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रु.86,95,78,015.00 (रूपया छियासी करोड़ पिच्चान्वे लाख अठहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत 03 पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रु.86,95,78,000.00 (रूपया छियासी करोड़ पिच्चान्वे लाख अठहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गये लाभार्थी कम्पनियों एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी कम्पनियॉ का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	**कम्पनी**	**अनुमोदित अनुमन्य धनराशि**	**शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के अनुपालन में देय (अनुमन्य धनराशि का 90 प्रतिशत)***	**नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1 प्रतिशत)**	**इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि**
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर	34,73,28,998.00	31,25,96,098.00	31,25,961.00	30,94,70,137.00
2	मेसर्स वरूण बेवरेजस लि0, सण्डीला,हरदोई।	20,57,23,835.00	18,51,51,452.00	18,51,515.00	18,32,99,937.00
3	मेसर्स गैलेण्ट इस्पात लि0	41,31,44,961.00	37,18,30,465.00	37,18,305.00	36,81,12,160.00
	कुल योग	96,61,97,794.00	86,95,78,015.00	**86,95,781.00**	**86,08,82,234.00**
	कुल धनराशि (5+6)				**86,95,78,015.00**

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
3. तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गयी धनराशि उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैक खातों में अन्तरित की जायेगी जिसका विवरण संलग्नक-2 पर है। उक्त स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि कुल योग रू0 86,95,781.00(रूपया छियासी लाख पिच्चान्वे हजार सात सौ इक्यासी मात्र) पिकप के बैंक खाते में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-3 के विवरण अनुसार प्रशासनिक व्यय के रूप में हस्तान्तरित की जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराये जायेगें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलबध कराया जाएगा।
10. इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य (क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-3439-दस-2021-22 दिनांक 25.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-9/2022/46(1)/77-6-2022-6002(099)/2/2022तद्दिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आईआईआईपी-2012/मेगा/1420 दिनांक 07-01-2022 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।